

अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बरही (हजारीबाग)

3

ख्या...../

धारा 144 दं० प्र० सं०

..... — बनाम —


—: आदेश :-


अभियुक्ति

इस वाद में दिनांक को प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। 60 दिन से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं विधि-व्यवस्था भंग होने जैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।